


55
28

पराबली पैरा हूँ। वकालत अनुपस्थित।
उत्तरण में जुगवाई के लिए बार-बार आवाज
लगवाई गई। आवपद बार-बार आवाज
लगते पर वकालत या पक्षधरान में से
कोई हानिरी अदालत नहीं आया। अतः
अभ्याधी उत्तरण अदम हानरी अदम पैरवी
में खारीज किया जाता है। पराबली पैरवी
शुमार होकर नम्बर से उन होकर दायित्व
पक्षर हो। निर्णय से इत्ताल हुनया गया।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)